कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरत्न अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

सीएसएल/पीएण्डए/ प्रशि./ च.प/- पदनामित/2022/2 16 सितंबर 2026

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत तकनीशियन (व्यावसायिक)/ट्रेड शिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचना

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 16.09.2026 से 08.10.2026 तक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत **एक वर्षीय** शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र आईटीआई/व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है।

I. **क. आईटीआई ट्रेड शिक्षु**

क्र.सं.	ट्रेड	संख्या	प्रति महीने वृत्तिका
1	इलेक्ट्रीशियन	31	₹ 11,000/-
2	फिट्टर	23	
3	वेल्डर	31	
4	मशीनिस्ट	5	
5	इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक	9	
6	इन्स्ट्रुमेंट मेकानिक	8	
7	ड्राफ्ट्समैन (मेकानिकल)	4	
8	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	2	
9	पेंटर(जनरल)/ पेंटर (समुद्री)	5	
10	मेकानिक मोटर वाहन	7	
11	शीट मेटल वर्कर	23	
12	शिपराइट वुड /बढई/वुड वर्क तकनीशियन	12	
13	मेकानिक डीज़ल	7	
14	पाइप फिट्टर/ प्लंबर	23	
15	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मेकानिक/ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन	1	
16	मराइन फिट्टर	14	
	कुल	**205**	

ख. तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु :-

क्र.सं.	शाखा	सीटों की सं.	वृत्तिका प्रति महीने
1	लेखा और कराधान/ लेखा कार्यकारी	1	₹ 11,000/-
2	बेसिक नर्सिंग और पालियेटीव केयर/ सामान्य ड्यूटी सहायक	1	
3	ग्राहक संबंध प्रबंधन/ कार्यालय संचालन कार्यकारी	1	
4	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी / घरेलू इलेक्ट्रीशियन समाधान	1	
5	खाद्य एवं रेस्तरां प्रबंधन / क्राफ्ट बेकर	1	
	कुल	**5**	

II. **पात्रता मानदंड:**

मानदंड	**आईटीआई ट्रेड प्रशिक्षु**	**तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु**
शिक्षा	• दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण । • अनुच्छेद I -क की तालिका में उल्लिखित किसी एक ट्रेड में आईटीआई (राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र - एनटीसी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	संबंधित शाखा में व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (वीएचएसई) में उत्तीर्ण (तालिका I - ख के सदंर्भ)
आयु	दिनांक 08.10.2026 को 18 वर्ष से अधिक	
शारीरिक योग्यता	जैसा कि शिक्षुता अधिनियम 1961, शिक्षुता नियम 1992 और उसके संशोधनों (यदि कोई हो) में निर्धारित है।	
निवास स्थान	आवेदक केरल का निवासी होना चाहिए।	
आरक्षण	भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।	

III. **प्रशिक्षण की अवधि:** शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। जिन लोगों ने शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी अवधि के लिए किसी अन्य संगठन में शिक्षुता प्रशिक्षण लिया है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

IV. **चयन प्रक्रिया:**

क. उम्मीदवारों की लघुसूची संबंधित ट्रेडों के लिए लागू निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। यदि निर्धारित योग्यता में एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो संबंधित योग्यता आयु में वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी।

ख. लघुसूचीगत उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा और उन्हें निम्नलिखित प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा : -

क. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट (जिसमें यूनीक पंजीकरण संख्या हो) विधिवत हस्ताक्षरित।

ख. आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगजता (यदि कोई हो) आदि के प्रमाण के लिए मूल प्रमाण पत्र।

ग. ऊपर 'ख' में उल्लिखित सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां।

ग. पात्रता आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन के सफल समापन पर, आवेदकों को चिकित्सा योग्यता के अधीन, योग्यता/आरक्षण के क्रम में अधिसूचित सीटों के लिए चयन के लिए अस्थायी रूप से विचार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार https://apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता अनुबंध समझौते को निष्पादित करेंगे।

V. **यात्रा व्यय**: प्रमाणपत्र सत्यापन/ शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई यात्रा व्यय स्वीकार्य नहीं है।

VI. **भोजन/आवास**: शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान सीएसएल द्वारा भोजन या आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

VII. **आवेदन शुल्क :** शून्य

VIII. **आवेदन का पंजीकरण और प्रस्तुतिकरण:**

क. **आवेदन कैसे करें** :

(i) इच्छुक उम्मीदवार जो उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले हमारी **वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ- सीएसएल कोच्ची)** पर **प्रकाशित यूज़र मैनुअल** को पढ़ना चाहिए। **आवेदन में दो चरण शामिल हैं - सीएसएल के एसएपी ई-भर्ती पोर्टल में एक बार पंजीकरण और लागू ट्रेड/ व्यवसाय के लिए आवेदन जमा करना।** आवेदक एक से अधिक आवेदन जमा नहीं कर सकते। एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

(iv) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।**

(vi) वेबसाइट **दिनांक 16 सितंबर 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **08 अक्तूबर 2026** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।***

(vii) **ऑनलाइन आवेदन पथ- www.cochinshipyard.in> Career> CSL (Kochi) > E-Recruitment – Trainees/Apprentices.**

IX. **सामान्य**

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

(ii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल apprenticeship@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, कोचीन शिपयार्ड निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(iv) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) मराइन फिट्टर (तालिका I(क) का क्रमांक 16) के व्यापार को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए निर्धारित व्यापार के रूप में शामिल करने का अनुरोध भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा विचाराधीन है। शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत मराइन फिट्टर के ट्रेड में प्रशिक्षुओं के अनुबंधों का पंजीकरण भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही संभव होगा।

(vi) प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए बुलावा पत्र लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उम्मीदवार अद्यतन के लिए अक्सर सीएसएल वेबसाइट की जांच करते रहें। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल कोच्ची) को बार- बार देखें।

(vii) केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रमाणपत्रों के सत्यापन केलिए पत्र भेजने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(viii) सीएसएल प्रशिक्षण के दौरान या उसके पूरा होने के बाद अन्य नियुक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ix) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा यदि लागू हो तो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(x) शिक्षुता अवधि पूरी होने पर, सीएसएल को ऐसे प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही कोई प्रशिक्षु शिक्षुता पूरी होने के आधार पर रोज़गार के अधिकार का दावा कर सकता है।

(xi) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान सीट होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। ऊपर बताया अनुसार उत्पन्न सीट को नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xii) इस अधिसूचना में दर्शाई गई सीटों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली सीटें सीएसएल के विवेक पर उस रैंक सूची से भरी जाएंगी।

(xiii) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित सीटों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित सीटों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन होगा। सीएसएल को आवश्यक हो तो भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xiv) जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के समकक्ष योग्यता है, उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्दिष्ट ट्रेड/ व्यवसाय में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए और ऐसे प्रमाण पत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xv) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने सही अंक दर्ज किए हैं। दर्ज किए गए अंकों और अपलोड की गई अंक सूची में अंतर होने की स्थिति में आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xx) कोई स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया apprenticeship@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

X. **महत्वपूर्ण तिथियां:**

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत	:	**16.09.2026**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	**08.10.2026**

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"
"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)

कर्मयोगो विशिष्यते